न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावाः— प्रा0पत्र/212 आर.टी.एक्ट/24/2017

1. दयाचन्द 2. रमेश	पुत्रगण दौजी जाति बलाई निवासी छापरखुर्द तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्रीचन्द पुत्र तुलसीराम 2. ओमप्रकाश पुत्र श्रीचन्द 3. सन्तोष पुत्र श्रीचन्द 4. हरदयाल पुत्र श्रीचन्द 5. यशपाल पुत्र ओमप्रकाश	जाति राजकुमार निवासी छापरकलां तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व मुकदमा दावा हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थितः—

1. श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम
   अभिभाषक प्रार्थीगण
2. प्रमोद उपमन
   अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः— 03.01.2018

वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.02.2017 को अपने राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 53—188 आर.टी.एक्ट 1955 के साथ यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय के साथ पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 245/0.12 ऐयर, 257/0.25

ऐयर बांके ग्राम मूढौता तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें सायलान व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। आराजी से गैर सायलान को कोई लेना देना नही है फिर भी जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते है जबकि उक्त आराजी पर सायलान खातेदार काश्तकार है। गैर सायलान ने दिनांक 01.02.2017 को सायलान की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दी और कहा कि इस आराजी पर कब्जा करेगे। अगर गैर सायलान अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान को ऐसा क्षति होगा कि जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नकद से पूरी नही हो सकेगी। वदी वजह सायलान डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी खिलाफ गैर सायलान इस अम्र की जारी करा पाने का मुश्तहक है कि गैर सायलान आ0मुतनाजा में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न करें और सायलान की आराजी पर जबरन कब्जा नही करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे और ऐसा कोई कृत्य न करे जो हकूक सायलान पर प्रतिकूल असर पड़ैं प्राईमाफसी केस एवं बैलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स सायलान के पक्ष में वखूबी सावित है।

गैर सायलान ने दिनांक 19.09.2017 को अपने जवाबदावा में सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाया जाने की प्रार्थना की। जिसमें गैर सायलान की आवासीय भूखण्ड 40X50 फुट खसरा नम्बर 260/18 ऐयर गैर मुमकिन आबादी पंचायत हाजा ग्राम मूढौता तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें सायलान का कोई लेना–देना नही है और न ही गैर सायलान का सायलान की आराजी खसरा नं0 245/12 ऐयर, 257/25 ऐयर से लेना देना है। सायलान खसरा नं0 260 रकवा 18 ऐयर को जबरन लठ्ठू के बल पर कब्जा करना चाहते है। जबकि उक्त खसरा नम्बर पर उन्हे कोई अधिकार हासिल नही है। सायलान के खसरा नम्बर 257 खसरा नम्बर 260 से लगा हुआ है तथा खसरा नम्बर 245 काफी दूर है। इसी बात का फायदा उठाकर सायलान द्वारा गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से दुर्भावना पूर्ण पाबंद कराया है। सायलान बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो शराब पीकर गैर सायलान को तंग व परेशान करते रहते है तथा झूठे मुकदमा लगाते रहते है। सायल सं0 1 के विरूद्ध शान्ति भंग का एवं फौजदारी मुकदमा भिन्न–भिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है।

(दयाराम बनाम् श्रीचन्द)

सायलान द्वारा गैर सायलान के आवासीय भूखण्ड जो खसरा नम्बर 260/18 में स्थित है में पशुओं के बांधने के खूँटे उखाड दिए तथा गैर सायलान के ईधन में आग लगा दी जिससे गैर सायलान को कई हजार रूपये का नुकसान हो गया जिसकी रिपोर्ट गैर सायल सं0 1 द्वारा थाना सेवर पर कराई जिसका एफ.आई.आर नं0 80/2017 है तथा सायलान द्वारा खिलाफ गैर सायलान एक झूठा मुकदमा धारा 3 एस.सी.एस.टी. एक्ट का लगा दिया जिसमें हल्का पटवारी मूढौता की रिपोर्ट चाही गई जिसमें हल्का पटवारी मूढौता ने विवादित जमीन खसरा नम्बर 260 गैर मुमकिन आबादी दर्ज होना बताया जिससे सायल का कोई लेना देना नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र गैर सायलान स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र सायलान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अपने प्रार्थना पत्र के साथ सायलान ने शपथ पत्र प्रार्थी दयाचन्द व नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 को पेश किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के साथ शपथ पत्र, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार दिनांक 20.03.2017 नक्शा अक्स हाल की अप्रमाणित फोटो प्रतियों को पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 पर प्रार्थीगण वादग्रस्त हाल ख0नं0 245/0.12, 257/0.25 के साथ 244/0.53 पर अभिलिखित खातेदार है। हाल ख0नं0 260/0.18 है0 गै0 मु0 आबादी ग्राम पंचायत की खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 है। नक्शा अक्स हाल अनुसार गै0मु0 आबादी के ख0नं0 260 से सटा हुआ वादीगण/प्रार्थीगण का ख0नं0 257/0.25 है0 है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.03.2017 अनुसार हाल ख0नं0 260 गैर मु0 आबादी है। है। F.I.R.No 79–80 व F.R.No 91-92 के अनुसार उभय पक्षों के मध्य विवाद हाल ख0नं0 245–257 पर न होकर हाल ख0नं0 260 पर है। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र. के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही हैं हाल ख0नं0 260 से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नही हैं। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नही है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर प्रार्थना पत्र T.I स्वीकार योग्य नही है।

(दयाराम बनाम् श्रीचन्द)

अतः आज्ञा है किः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पूर्व में दिनांक 30.02.2017 को जारी की गई एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दा0द0 है। संलग्न मूलवाद रहे।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर